

कार्यालय अधिशासी अभियंता
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग, गाजीपुर

पत्रांक : ३६/४ N-२२

दिनांक : २८/०८/२०२२

सेवा में,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
वाराणसी मण्डल
वाराणसी

विषय : नेशनल बिल्डिंग कोड सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सनबीम वर्ड स्कूल दौलतनगर, गाजीपुर के भवन निर्माण में आर.सी.सी.कॉलम एवं आर.सी.सी.बीम का प्राविधान किया गया है। छत आर.सी.सी.स्लैब संरचना की है तथा दरवाजा व खिड़की के ऊपर आर.सी.सी.लिंटल दिया गया है। अतः भवन टिकाऊ, सुरक्षित एवं भार. वहन धारण करने में सामर्थ्यवान है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग
गाजीपुर

पत्रांक :

दिनांक :

- प्रतिलिपि, प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, सनबीम वर्ड स्कूल दौलतनगर, गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि, अवर अभियन्ता (प्रा.), प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग, गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग
गाजीपुर

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
 सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. विद्यालय (कक्षा - 6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी विन्दु भवन की चेकलिस्ट	जांच आवश्या
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हैं
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	भवन ग्रामसभा में निर्मित होने के कारण आवश्यक नहीं है
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक है ?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्ग मी.) है ?	6335 वर्ग मी.
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मीटर खुला स्थान है ?	हैं
6	क्या भवन में बाहर पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है ?	हैं
7	क्या भवन का डोरिएटेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हैं
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है ?	हैं
9	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी ?	आर.सी.सी.छत है
10	क्या भवन की दीवारें इंट या पथर की सीमेण्ट पसाले से बनी हैं ?	हैं
11	क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रेक है ?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों वाली ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी. (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी.) है ?	हैं
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (वाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मीटर एवं ऊँचाई 4.5 मीटर है ?	हैं
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हैं / नहीं
15	क्या कक्ष पर न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हैं
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी. ऊँचाई 2.0 मी.) है ?	हैं
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक हैं तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	हैं
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी., दूड़ 300 मिमी. तथा राइजर 150 मिमी. है ?	हैं
19	क्या भवन में आग्नेशामक चंप्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	हैं
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फाइटिंग एप्लाइनेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है ?	हैं
21	क्या विद्यालय के छात्रों / अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हैं
22	क्या भवन में उपचुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है ?	हैं


 अधिकारी अभियन्ता
 प्रा. खुण्डल सिंहाय
